नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी के अवधि 4/12 से 3/14 तक के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 के दौरान नगर पंचायत सरकाघाट के अध्यक्ष तथा सचिव पद पर निम्नानुसार कार्यरत्त रहेः–

अध्यक्ष

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती निशा ठाकुर	1.4.12 से 31.3.2014

सचिव

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री अशोक शर्मा	13.06.11 से 26.2.13
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा	20.3.13 से 31.3.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत, सरकाघाट के लेखाओं अवधि 4/12 से 3/14 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनाँक 31.3.2014 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5 (क)	553.04
2	दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की वसूली हेतु राशि शेष	6	29.98

3	गृहकर निर्धारित दरों से वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	6.1	1.41
4	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष बारे	6.2	19.28
5	मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	6.3	0.51
6	अनुबन्ध की शर्तों अनुसार छूट की कटौती न करने के फलस्वरूप संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	8 (क)	0.64
7	सिंचाई एवं जनस्वास्थय विभाग द्वारा सड़क में तोड़फोड़ कर नगर पंचायत द्वारा सड़क मुरम्मत पर व्यय राशि को वसूल न करना	9 (क)	23.09
8	(आर0डी0) की लम्बाई गलत गणना दर्शाकर संविदाकारों को अधिक भुगतान	10	0.16
9	विभागीय औचित्य दर से अधिक दरों पर भुगतान करने के फलस्वरूप संविदाकारों को अधिक भुगतान	11	0.96
10	(आर0डी0) की लम्बाई अधिक गणना दर्शाकर संविदाकारों को अधिक भुगतान	12 (क)	1.85
11	मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान राशि का सम्भावित दुरूपयोग	13	13.40

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत सरकाघाट के अवधि 04/2012 से 03/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 2.6.2014 से 20.8.2014 के दौरान सरकाघाट में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के माह 7/12 व 8/13 तथा व्यय के लिए माह 4/12 व 4/13 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :–

नगर पंचायत सरकाघाट के लेखाओं अवधि 4/12 से 3/14 का अंकेक्षण शुल्क ₹33000/– आँका गया। सचिव नगर पंचायत सरकाघाट को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या फिन एल0ए0 (एस0एम0) 546 दिनाँक 20.8.14 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

नगर पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 138684 दिनाँक 26.8.14 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर पंचायत सरकाघाट की अवधि 4/12 से 3/14 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	2012—13	2013—14
प्रारम्भिक शेष रोकड़ बही अनुसार	50882153	36479211
प्राप्ति	22065268	53926477
कुल	**72947421**	**90405688**
भुगतान	36468210	29714661
अन्तिम शेष	**36479211**	**60691027**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में दिनाँक 31.3.2012 को वित्तीय स्थिति के अन्तशेष में ₹1658.65 का अन्तर पाया गया था जिसका समाधान शीघ्र किया जाए।

(ख) विभिन्न बैंक खातों नगर पंचायत का दिनाँक 31.3.2014 को अन्तशेष निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	अन्तशेष राशि (₹)
1	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	1493	1314382
2	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7754	58967
3	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	4676	1562
4	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	2163	213161
5	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7866	1558769
6	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	7753	23759
7	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	5225	36534
8	ओ0बी0सी0 बैंक	1001667	334995
9	ओ0बी0सी0 बैंक	2893	3562314
10	यूको बैंक	18	35179
11	यूको बैंक	11294	2316097
12	स्टेट बैंक पटियाला	6380	41875858
13	स्टेट बैंक पटियाला	5301	5089405
14	हिमाचल ग्रामीण बैंक	97658	420096
15	पोस्ट ऑफिस	2071955	736.15
16	पंजाब नैशनल बैंक	6930	1292403.85
		कुल राशि	**58134218**

(ग) निवेशः—

नगर पंचायत सरकघाट में दिनाँक 31.3.14 को ₹2580784/— का निवेश सावधि जमा योजना में है। निवेश का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में संलग्न है।

(घ) समाधानः—

नगर पंचायत सरकाघाट में बैंक खातों व रोकड़ बही का दिनाँक 31.3.2014 को समाधान निम्न प्रकार से हैः—

बैंकों में राशि	58134218
निवेशित राशि	2580784
अग्रिम राशि	5000
कुल	**6072002**
चैक जारी किये लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए इन चैकों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।	28975
रोकड़ बही का अन्तशेष	60691027

नोटः— ₹5000/— अग्रिम की वसूली माह 2/13 देय 3/13 के वेतन से की गई परन्तु कटौती प्रपत्र का चैक काटकर यह राशि प्राप्ति में न दर्शाने के कारण यह राशि रोकड़ बही में समायोजन हेतु शेष रह रही है जिसका समायोजन किया जाए।

5 अनुदानः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट "ख"** पर दर्शाई गई है जिनमें निम्नलिखित अनियमितता पाई गईः—

(क) अनुदान ₹5.53 करोड़ का उपयोग न करनाः—

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि से पहलें प्राप्त पुराने अनुदानों में क्रम संख्या 2 वर्ष 2012—13 में क्रम संख्या 2 व वर्ष 2013—14 में क्रम संख्या 4, 6(क), 7, 8, 9, व 11 के अन्तर्गत कुल ₹55304131/— का या तो पूर्ण रूप से

उपयोग नहीं किया गया है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। इन राशियों का उपयोग सम्बन्धित विकास कार्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था। अतः इन अनुदानों का नियमानुसार शीघ्र उपयोग करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित किये जाऐं अन्यथा अनुपयोगी राशियाँ को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यर्पण किया जाए।

6 गृहकर ₹29.98 लाख की वसूली न करने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा जारी विवरणानुसार 31.3.2014 तक गृहकर की बकाया राशि ₹2997653/– वसूली योग्य शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। नियमित वसूली न होने से नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। अतः गृहकर की राशि वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 गृहकर की निर्धारित दरों से वसूली न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹1.41 लाख की वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक के दौरान गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में गृहकर वर्ष 2012–13 में 10**%** की दर से वसूली की गई जबकि सरकार ने अपने पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)–2/2002 दिनाँक 24.9.2003 द्वारा नगर परिषदों/पंचायतों से 12½**%** की दर से गृहकर किया जाना निर्धारित किया गया है जिससे नगर पंचायत को वर्ष में कुल माँग ₹562382X12½**%**/10**%**=₹702978 (–) ₹562382=₹140596 की वित्तीय हानि हुई है। अतः नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दर से गृहकर का अधिरोपण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण पंचायत के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

6.2 दुकानों को किराये की बकाया ₹19.28 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विभिन्न दुकान से **परिशिष्ट "घ"** में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2014 को ₹1928224/– की वसूली करनी शेष

थी। नगर पंचायत द्वारा दुकानों के बकाया राशि को वसूली हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथ बकाया राशि की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 89 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

6.3 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.51 लाख की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT 2005 (Misc) दिनाँक 22.8.2006 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क वसूल करना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों से **परिशिष्ट "ण"** में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2014 को ₹51250/– की वसूली करनी शेष थी। अतः उपरोक्त राशि की समय पर वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व टावर शुल्क की अपेक्षित वसूली करके नगर पंचाचत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 स्थापनाः–

(क) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना A.C.P.S स्कीम के अन्तर्गत ₹0.98 लाख का भुगतान करने बारेः–

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्रांक फिन (पी0आर0) बी (7)–59/2010 दिनाँक 9.8.12 के अन्तर्गत A.C.P. स्कीम लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर निम्न कर्मचारियों को 4–9–14 A.C.Ps स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किये गये जबकि ये लाभ पंत्राक के पैरा 4 बी0ई0 व आई0 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निदेशालय स्तर पर प्रदान किये जाने थे लेकिन नगर पंचायत द्वारा निम्न बकाया राशि भी अपने स्तर पर प्रदान की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से भुगतान की राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	राशि (₹)
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा सचिव	24833
2	श्री राजेन्द्र	8931
3	श्रीमती तृप्ता शर्मा	882
4	श्री धनी राम	8269

5	श्री कुलदीप चन्द	21203
6	श्री अच्छर सिंह	7993
7	श्रीमती संतोष कुमारी	8269
8	श्रीमती बर्फी देवी	7985
9	श्री रसील चन्द	2130
10	श्रीमती दामोदरी देवी	3895
11	श्रीमती कलां देवी	3895
	कुल	**₹98285**

व्ययः—

8 **(क) संविदाकार श्री रमेश कुमार को ₹63714/— का अधिक/अनुचित भुगतानः—**

संविदाकार श्री रमेश कमार को निर्माण कार्य "Chenacliization of Nallah towards HRTC work shop Right side" का आबंटन पत्र संख्या 1440—43 दिनाँक 5.5.12 द्वारा ₹2497903/— का किया गया। संविदाकार द्वारा कुल मद दरों में 3**%** छूट की शर्त संविदा में दी थी। इस कार्य का दूसरा व अन्तिम बिल माप पुस्तिका 17 पृष्ठ 28 पर तैयार किया गया व कार्य की कुल लागत (work done) ₹2123791/— की गणना कर भुगतान बिल तैयार किया गया जबकि यह 2123791 (—)3**%**=₹63714 छूट की कटौती करने के पश्चात का भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन संविदाकार को ₹2123791/— का भुगतान किया गया अर्थात ₹63714/— का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अधिक भुगतान की जिम्मेवारी निर्धारित कर राशि को अविलम्ब वसूल किया जाए।

(ख) अनुबन्ध की शर्तों अनुसार विभागीय स्त्तर पर/सीमेन्ट जारी न करने बारेः—

उपरोक्त कार्य Chanalization of nallah towards HRTC Work shop right side के निर्माण हेतु संविदाकार को अनुबन्ध अनुसार विभागीय तौर पर ₹225/— प्रति बैग की दर से सीमेन्ट जारी किया जाना था। इस कार्य हेतु मात्र 820 बैग सीमेन्ट जारी कर अनुबन्ध दर से वसूली की गई। बल्कि 2904 बैग सीमेन्ट संविदाकार द्वारा बाजार से खरीद कर कार्य में लगाया दर्शाया गया। अनुबन्ध दर ₹225/— प्रति बैग के स्थान पर संविदाकार द्वारा 2904 बैग सीमेन्ट बाजार भाव ₹315 प्रति बैग खरीद कर लगाया गया जबकि नियमानुसार कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेन्ट विभागीय रूप में जारी किया जाना अपेक्षित था क्योंकि विभाग द्वारा जो

सीमेन्ट खरीदा जाता है व प्रयोग में लाया जाता है इनकी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवता होती है तथा खरीद भी दर संविदा की निर्धारित दरों पर की जाती है। अनुबन्ध के दी गई शर्तों अनुसार विभागीय स्तर पर सीमेन्ट न जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को जो वित्तीय उठानी पड़ी उसकी अपने स्तर पर जाँच करके भरपाई की जाए।

(ग) सीमेन्ट कंक्रीट 1:4:8 की प्रतिस्थापित मद 1:4:8 with 15%Plum करने के कारण मद की गलत दर निर्धारित कर संविदाकार को ₹28457/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार ने सीमेन्ट कंक्रीट 1:4:8 की दर ₹1695 per cum संविदा में भरी थी लेकिन संविदाकार द्वारा इस मद का कुछ कार्य 150 एम0एम0 पत्थर डालकर किया गया जिससे इस मद को प्रतिस्थापित कर सीमेन्ट कंक्रीट 1:4:8 with 15% Plum किया गया। Plum कंक्रीट की दर हमेशा संविदाकार द्वारा भरी दर से कम निकलती है क्योंकि कंक्रीट में 15**%** पत्थर डालकर लागत कम आती है। अतः यह दर 1:4:8 सीमेन्ट कंक्रीट की देय दर ₹1695/– per cum से कम बननी थी लेकिन इस Plum कंक्रीट की दर 1:4:8 सीमेन्ट कंक्रीट से अधिक ₹1792.86 per cum की दर से भुगतान किया गया। 1:4:8 सीमेन्ट कंक्रीट with 15% Plum का Analysis of rates इस प्रकार से निर्धारित किया जाना था।

Analysis of Rate

P/L C.C. 1:4:8 with 15% Plum

Detail of Cost for 1.00 cum

Material

		Rate	₹
Stone aggregate 40mm	Cum 0.60	440	264
Stone aggregate 20mm	Cum 0.22	460	101.20
Sand	Cum 0.43	300	129.00
Cement	Tonne 0.1564	4900	766.36
Selected hard stone (Plum)	Cum 0.15	300	45.00
Carriage			258.37
Labour			329.25
1.5% water Charges			1893.18
			28.39
			1921.57
Add 15% C.P. & O.H.			288.24

% below (rate quoted-Shedule rate)x100/shedude rate		2209.81
(1695-2293.10x100/2293.10	(-) 26.08%	576.31
1:4:8 with 15%Plum Rate per cum		₹1633.50

अतः संविदाकार को 178.57 cum Plum Conractor का ₹1792.86 की दर से मद का ₹320151/– का भुगतान किया गया जबकि इन्हें 178.57 cum Plum C.C. का ₹1633.50 की दर से ₹291694 का भुगतान देय था। अतः संविदाकार को ₹320151/– (–) 291694=₹28457/– का अधिक भुगतान इस मद में किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित रूप से किए गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(घ) कंक्रीट कार्य में वीप होल्स की मद अलग प्रदान कर कंक्रीट कार्य से वीप होल्स की परिधि की मात्रा कम न करने से संविदाकार को ₹4058/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत कंक्रीट कार्य में संविदाकार को "Prov 100MM weep holes in R.C.C. work" 246 Nos @₹200/– ₹49200/– की मद का भुगतान किया गया जबकि कंक्रीट कार्य में weep holes 100mm 1 मीटर लम्बाई की परिधि की कार्य मात्रा R.C.C. कार्य मात्रा से कम की जानी थी जो नहीं की गई।

एक वीप होल 100mm की परिधि इस प्रकार बनती हैः–

22/7x.0025=.0078cum,

अतः 246 Nos वीप होल्स 1:3:6 कंक्रीट में जिसकी दर ₹2115/– per cum थी का निम्न प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

246x.0078x₹2115=₹4058

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच नगर पंचायत अपने स्तर पर करने के उपरान्त उचित कार्रवाई करें।

उपरोक्त समस्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 538 दिनाँक 1.8.2014 द्वारा सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट के ध्यानार्थ उत्तर देने हेतु लाये गए लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

9 निर्माण कार्यः–

"Repair of road from old bus stand towards paplog" श्री रमेश कुमार संविदाकार को आंबटित किया गया। वाऊचर संख्या 22 दिनाँक 9.4.12 माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 60 से 63 (द्वितीय व अन्तिम बिल) में कार्य के उपर कुल ₹2308696/– व्यय किया गया बिल की जाँच में निम्न गम्भीर अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा सड़क में तोड़फोड़ कर नगर पंचायत द्वारा सड़क रिपेयर कर ₹23.09 लाख सम्बन्धित विभाग से वसूल न करनाः–

उपरोक्त कार्य का संशोधित प्राकलन सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य में भारी विचलन के मध्यनजर तैयार किया गया। प्राकलन में स्पष्ट है कि सड़क को सिंचाई व जनस्वास्थ्य द्वारा विभिन्न पाईप लाईनों/सीवरेज पाईप बिछाने के कारण सड़क में भारी तोड़फोड़ की गई जिस कारण नगर पंचायत को उपरोक्त कार्य हेतु ₹2308696/– की राशि व्यय करनी पड़ी लेकिन इस राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई यह प्रकरण सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए। इस राशि को वसूली हेतु ठोस कदम उठाऐं जाऐं।

(ख) बिना तकनीकी स्वीकृति से भारी विचलनः–

उपरोक्त कार्य का संशोधित प्राकलन ₹1941078/– का सहायक अभियन्ता द्वारा भारी विचलन के आधार पर तैयार किया गया जबकि कुल व्यय ₹23.09 लाख की तकनीकी स्वीकृति व प्राकलन स्वीकृति हेतु सहायक अभियन्ता प्राधिकृत ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः यू0डी0–ए (3)5/2007 दिनाँक 20.8.2010 द्वारा सहायक अभियन्ता अधिसूचना के पैरा 4 में ₹10 लाख तक तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राधिकृत है तथा अधिसूचना के पैरा 5 के अन्तर्गत संशोधित प्राकलन व संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी प्राप्त की जानी आवश्यक थी। अतः नगर पंचायत द्वारा भारी विचलन जो वास्तविक प्राकलन से लगभग दो गुणा अधिक है, कार्य बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के निष्पादित किया गया। विचलन का विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	संक्षिप्त मद	प्राकलन में मात्रा	वास्तव में निष्पादित मात्रा
1	Excavation earth work	216cum	390.39 cum
2	Excavation in drain	24.30 cum	36.6 cum
3	Stone filling	81 cum	146.39 cum

4	P.l. 1:6:12	64.57 cum	151.57 cum
5	P.L. C.C. Paver	540 Sqm	966.30 Sqm
6	P.L. RCC pipe 250 mm half cut	180 RMT	315.50 RMT
7	Steel work (grating etx.)	25.20 Qtls	54.17 Qtls

अतः उपरोक्त कार्य को बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के निष्पादित कराने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। उपरोक्त निष्पादित कार्य को उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित शक्तियों के अनुसार संशोधित प्रांकलन तकनीकी स्वीकृति व प्रशासनिक सहमति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

(ग) संविदाकार को अनावश्यक मदों को प्रदान कर ₹48146/– का अनुचित भुगतानः–

उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को अनावश्यक अतिरिक्त मदों को बनाकर निम्न प्रकार से भुगतान किया गयाः–

(i)	Item extra for carriage of stone aggregate/soling mannual means समस्त मदों में पत्थर व बजरी इत्यादि व मद "includes material & labour including carriage of material in all leads & lifts" अतः मद अन्य मदों में सम्मिलित है और देय नहीं थी	146.39m3@185.40	27140
(ii)	Extra supply of laying of aggregate 6mm for filling of voids in stone soling सड़क निर्माण हेतु 1:6:12 सी0सी0 कार्य हेतु 12 भाग रेत पड़ता है व अन्य किसी नगर परिषद व पंचायत में इस प्रकार की अदायगी voids filiing में नहीं की जाती।	21.95 m3@957	21006
		अधिक भुगतान	**48146**

उपरोक्त मदों के निर्माण पर किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 निर्माण कार्य में (आर0डी0) की लम्बाई गलत गणना दर्शाकर संविदाकारों को ₹15909/– का अधिक भुगतानः–

(क) निर्माण कार्य "Strengthing of Drain from jasmai Park" का समापन दिनाँक 15.3.2013 को किया गया कार्य को माप पुस्तिका 17 पृष्ठ 46 में कंक्रीट कार्य का मापन आर0डी0 30.30 से 35.60 मीटर कुल 5.60 मीटर लम्बाई दर्शाई गई जबकि यह लम्बाई 35.60 (–) 30.30=5.30 मीटर बनती है। अतः मद "P/L 1:4:8 सी0सी0 का मापन निम्न प्रकार से किया गया।

दर्शाई गई गणना	1x5.60x2.10+0.60/2x5.75+6.01/2
	1x5.60x1.35x5.88=44.45 cum
वास्तविक गणना	1x5.30x1.35x5.88==42.07 cum
अधिक गणना	2.38 cum
कंक्रीट दर	₹2000
कुल अधिक भुगतान	**₹4760**

अतः संविदाकार को आर0डी0 की गलत गणना दर्शाकर ₹4760/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) निर्माण कार्य "Repair of M/C of Road Path drains in ward No. 7 Dabrog" श्री संजय ठाकुर को पत्र संख्या 1650–53 दिनाँक 18.6.12 ₹4005952/–का आंबटन किया गया। इस कार्य का तृतीय रनिंग बिल वाउचर संख्या 7 माह 4/13 कुल ₹595231 का भुगतान संविदाकार को किया गया। कार्य में लम्बाई (आर0डी0) की गलत गणना दर्शाकर संविदाकार को निम्न अधिक भुगतान किया गया।

(i) मद सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 (माप पुस्तिका 16/5)

दर्शाई गई गणना आर0डी0 0/28 से 0/33	1x15x1+1.05/2x.075=1.15cum
वास्तविक गणना	1x5x1+1.05/2x.075=0.38 cum

	अधिक गणना	0.77cum
	सी0सी0 1:6:12 की दर	₹2200cum
	कुल अधिक भुगतान	**₹1694**
(ii)	मद प्रैक्टिकल चैकर टाईल (माप पुस्तिका 16/7)	
	दर्शाई गणना आर0डी0 0/28 से 0/33	15x1+1.25/2=16.88m2
	वास्तविक गणना	5x1+1.25/2=5.62m2
	अधिक गणना	11.26m2
	दर चैकर टाईल	₹540 m2
	कुल अधिक भुगतान	₹6080
II	मद प्रैक्टिकल चैकर टाईल (माप पुस्तिका 16/7)	
	दर्शाई गणना आर0डी0 223.80 से 233.80 =15x1.25	18.75m2
	वास्तविक गणना 10x1.25	12.50m2
	अधिक गणना	6.25m2
	दर चैकर टाईल	₹540ms
	कुल अधिक भुगतान	₹3375

इस प्रकार संविदाकारों के कार्य में आर0डी0 की गलत गणना कर क्रमशः ₹4760+₹1694+₹6080+₹3375=कुल ₹15909 का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

11 विभागीय औचित्य दर (Justification of Rates) से अधिक दरों पर कार्य निष्पादित करवाकर संविदाकारों को ₹95554/– का अनुचित/अधिक भुगतानः–

"Repair & M/C of Road Path, Drain and protection of road & Path, Dabrog का निर्माण कार्य श्री संजय ठाकुर को निदेशक, शहरी विकास की स्वीकृति/सहमति से पत्रांक यू0डी0–एच (एफ) एस0के0टी0/11192 दिनाँक 16.6.12 को नेगोशियेशन के बाद ₹4005952/–(एच0पी0एस0आर0 2009 के 2.99% उपर) आंबटित किया गया। इस कार्य हेतु

नगर पांचायत द्वारा मुख्य मद "P/L Precast chequer tile in 1:6 cement mortor" का औचित्य दर ₹566.73m2 तैयार कर औचित्य (Justification) निदेशक, शहरी विकास द्वारा प्रस्तुत की लेकिन निदेशक, शहरी विकास द्वारा संविदाकार की सहमति से यह दर ₹540/- m2 नेगोशियेट कर कार्य आंबटन किया गया।

नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर प्रतिशतता आधारित संविदाओं में निम्न प्रकरणों में औचित्य दर को नजर अन्दाज कर 20 से 25**%** अधिक शिडयूल दरो पर कार्य आंबटन किया गया।

निम्न प्रकरणों में संविदाकारों को औचित्य दर से अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण ₹95554/- का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	**कार्य व संविदाकार का नाम**	**आंबटन की दिनाँक**	**माप पुस्तिका**	**भुगतान दर प्रोकास्ट चैकर टाईल (₹)**	**मात्रा एम2**	**औचित्य दर**	**अधिक देय राशि**
1	Repair of foot path near Himalayan Public School (श्री सुमित कुमार)	8.6.12	17/7	₹565.29 +25**%** above 141.32 कुल 706.61	177.072	566.73	24769
2	C/O Foot Path near Amar Singh House (श्री रमजान शेख)	11.5.12	16/97	₹565.29 +25% above 141.32 कुल 706.61	198.46	566.73	27767
3	Repair of foot path near hospital	30.12.11 (देय माह 4/12)	15/47	₹565.29 +20**%** above 113.06 कुल 678.35	385.40	566.73	43018
			औचित्य से अधिक भुगतान				**₹95554**

इसके अतिरिक्त निदेशक द्वारा इस मद को Negotiation उपरान्त दर ₹540/— प्रति एम2 निर्धारित की गई थी Negotiation दर से भुगतान न करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

12 एक बड़े कार्यों को 11 छोटे—2 कार्यों में नियमों की अनदेखी कर विभाजित करने बारेः—

एक बड़े कार्य "Channelization of Nallah" बैहर डबरोग" को 11 ठेकेदारों को ₹298511 प्रत्येक के 11 प्राकलन तैयार कर कार्य आंबटित किया गया यह प्रत्येक प्राकलन कम्पयूटर में केवल आर0डी0 (लम्बाई) में बदलाव कर एक बराबर मात्रा में तैयार कर 11 सैट प्राकलन बनाये गये जिससे प्रतीत होता है कि यह स्थल पर मौका व पैमाईश न कर सीधे कम्पयूटर में तैयार किये गये है। प्रत्येक ठेकेदार को 15 मीटर लम्बाई में उपरोक्त कार्य 0 से 15 मीटर प्रथम संविदाकार 0/15 से 0/30 दूसरा संविदाकार 0/30 से 0/45 इस प्रकार 165 मीटर तक का उपरोक्त कार्य ग्यारवें संविदाकार को आंबटित किया गया। प्रधान सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल उप नियम 2006 की धारा 32 में स्पष्ट नियम है।

"There will be no splitting up of estimate for any one work"

उपरोक्त कार्य को विभिन्न 11 टुकड़ों में बाँटकर नियमों की अनदेखी कर कार्य आंबटित किया गया। सभी 11 कार्य माह 11/2011 में आरम्भ किये गये दर्शाये गये। सभी कार्यों में भारी विचलन दर्शाया गया है। यह विचलन ऊंचाई व गहराई में तो हो सकता है लेकिन लम्बाई में भी प्रत्येक संविदाकार की पैमाईश 15 मीटर से अधिक है। जब प्रथम ठेकेदार 0/0 स 0/15 मीटर लम्बाई का कार्य कर रहा है तथा दूसरा ठेकेदार 0/15 मीटर से 0/30 मीटर तथा तृतीय ठेकेदार एक ही समय में 0/30 मीटर से 0/45 मीटर लम्बाई का कार्य कर इसी प्रकार समस्त ठेकेदार 15 मीटर लम्बाई का कार्य कर रहे थे तो लम्बाई में विचलन सम्भव नहीं है लेकिन ज्यादाकर कार्य 15 मीटर से अधिक दर्शाकर भुगतान कर समस्त संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। चयनित मासों मे हुए अधिक भुगतान का विवरण इस प्रकार से हैः—

(क) संविदाकारों को आर0डी0 की (लम्बाई) अधिक दर्शाकर ₹1.85 लाख का अधिक भुगतानः–

(i) उपरोक्त कार्य आर0डी0 105 से 120 तक का कार्य भुगतान श्री विपिन कुमार को वाउचर संख्या 3 माह 4/12 ₹376608/– माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 42 व 43 द्वारा किया गया। लम्बाई 16.40 मीटर दर्शाकर 16.40 (–) 15.00=1.40 मीटर का अधिक मापन/भुगतान निम्न प्रकार से हैः–

L.H.S. 1:4:8 C.C. with 15% Plum	1.40x1.50+75/2x3.70	5.83 cum
	दर ₹2309.20+20%above	X2771
	अधिक भुगतान	₹16155

(ii) उपरोक्त कार्य आर0डी0 90 से 105 तक का कार्य श्री विनोद लखनपाल को वाउचर संख्या 51 माह 4/12 ₹478615/– माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 81 व 82 द्वारा किया गया। कार्य की लम्बाई L.H.S. 19.90 मीटर दर्शाकर 19.90–15=4.90 मीटर तथा R.H.S. 17.20 मीटर दर्शाकर 17.2–15=2.20 मीटर लम्बाई का अधिक मापन/भुगतान किया जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**मद**	**अधिक मापन**		**अधिक भुगतान**
1	Earth work (L.H.S.)	4.90x1.5x0.90 दर 128.15+20% above=`153.78	6-62 cum x₹153.78	1018
	R.H.S.	2.20x1.5x0.90 दर 153.78	2-97	457
2	1:4:8 with (15% Plum)	4.90x1.50+0.75/2x3.50	19.29 cum	
	L.H.S.	2.20x1.50+0.75/2x4.3	7.50 cum	
		कुल	**26.79 cum**	
		दर ₹2309.20+23% above	=2840.32	76092
		कुल अधिक भुगतान		**77567**

(iii) उपरोक्त कार्य आर0डी0 60 से 75 तक का कार्य श्री सुरेश कुमार को वाउचर संख्या 54 माह 4/12 ₹595500/– माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 76 व 77 द्वारा किया गया। कार्य की लम्बाई 15 मीटर से अधिक निम्न प्रकार मापन व भुगतान किया गयाः–

1	Earth work (R.H.S)	दर्शाई लम्बाई 30.86 Mtr.	
	आर0डी0 लम्बाई	15.00	
	अधिक लम्बाई	15.86 Mtr.x1.39x0.90	19.84 cum
	L.h.S. M.B. 14/31 (1st R/bill	दशाई लं0 36.86 Mtr.	
		आर0डी0 लं0 15.00 Mtr.	
		अधिक लं0 21.86	
		Mtrx1.50x0.90=29.51cum	
		कुल लम्बाई लं0	49.35mtr.
		दर ₹153.78 per cum	
		मद का अधिक भुगतान	₹7589
		49.35x153.78	
2	1:4:8 with 15% Plum MB	दर्शाई लं021.80 मी0	
	14/31 Ist R/bill (L.H.S)	आर0डी0 लं0=15.00 मी0	
		अधिक लं0 6.80 मी0	
		अधिक मापन 6.	
		80x1.50+0.75/2x3.10=23.71 cum	
	(R.H.S)	अधिक लं0 12.50 मी0	
		(30.86–18.36 मी0)	
		अधिक मापन 12.50x0.31+0.75/2x1	6.63 cum
		कुल अधिक मापन दर ₹2771/–	30.34 cum
		अधिक भुगतान	
		30.34x2771	₹84072
		कुल अधिक भुगतान (1+2)	₹91661

इस प्रकार संविदाकारों को क (i) से (iii) क्रमशः ₹16155+₹77567+₹91661=कुल ₹185383 का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण में जाँच पड़ताल केवल चयनित मास तक

ही सीमित है। अतः उक्त 3 प्रकरणों की जाँच पड़ताल की गई। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत, सरकाघाट को अंकेक्षण अधियाचना 2 दिनाँक 22.7.2014 व संख्या 538 दिनाँक 1.8.2014 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे सूचित किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। निदेशक, शहरी विकास से अनुरोध है कि समस्त 11 कार्य आंबटनो ंकी तकनीकी जाँच व अपेक्षित विभागीय जाँच कर जिम्मेवारी निर्धारित की जाये व समस्त कार्यों में हुए अधिक भुगतानों की वसूली भी उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

13 मालिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹13.40 लाख का सम्भावित दुरूपयोगः—

आई0एच0एस0डी0पी0 (Integrated Housing slum Development Project) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि सम्बन्धित क्षेत्र के विकास कार्य, सड़क निर्माण, नालियाँ, रिटेनिंग बॉलस व मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान की जानी थी। नगर पंचायत द्वारा 130 परिवारों का चयन गृह निर्माण हेतु किया गया और इन परिवारों को ₹36219/— की प्रथम ₹36219/— की द्वितीय तथा ₹48292/— की तृतीय कुल ₹120730/— की राशि प्रति परिवार वितरित की जानी थी। प्रथम किस्त ₹36219/— के अन्तर्गत किये गये कार्य की तकनीकी शाखा द्वारा जाँच व कार्य रिपोर्ट के आधार पर चयनित परिवार को दूसरी व इसी प्रकार जाँच व रिपोर्ट के बाद तृतीय किस्त जारी कर चयनित परिवार द्वारा गृह निर्माण कर लिया, व अभिलेख में प्रविष्टि की जाती है। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध विवरणी **(परिशिष्ट "च")** के अनुसार कुल 130 परिवारों में से 37 परिवारों को प्रथम किस्त माह 6/12 से माह 9/12 ₹36219/— प्रत्येक परिवार कुल ₹1340103/— की राशि परिवार के मुखिया को गृह निर्माण हेतु प्रदान की गई लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये 37 परिवार ₹1340103/— की प्रदान राशि का उपयोग गृह निर्माण हेतु न कर पाये व दूसरी किस्त हेतु वाँछित प्रमाण पत्र (फोटोग्राफ) व तकनीकी जाँच रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त चयनित परिवारों से अनुबन्ध किया है कि प्रार्थी यदि घर बनाने में असमर्थ रहता है तो प्रदान राशि की 18**%** ब्याज सहित राशि को नगर पंचायत को लौटायेगा।

अतः उपरोक्त 37 परिवारों द्वारा प्रथम किस्त ₹36219/— का उपयोग न कर ₹1340103/— का दुरूपयोग कर लिया गया प्रतीत होता है। अतः विभागीय जाँच कर

₹1340103/– की राशि अनुबन्ध की शर्तों अनुसार 18% ब्याज सहित वसूल किया सुनिश्चित किया जाए।

14 वर्ष 2012–13 में लेबर सैस की कटौती न करना व वर्ष 2013–14 में लेबर सैस की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में राशि जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि में जाँच पड़ताल में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्य बिलों में 1% लेबर सैस नियमानुसार कुल निष्पादित कार्य पर कटौती नहीं की गई थी व यह कटौती वर्ष 2013–14 में 1% की दर में की गई लेकिन कटौती की गई राशि सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कराई जा रही थी। चयनित मास 4/13 में निर्माण बिलो से कटौती की गई 1% लेबर सैस की राशि जो जमा नहीं कराई गई विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0	कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य (₹)	लेबर सैस कटौती की राशि (₹)
1	39	Repair of M/C of road at dabrog	657956	6580
2	40	Strengthring of Drain, Jasmai Palk	741605	7416
3	41	Strengthning of Drain W.No. 7	755935	7559
4	42	Strengthing of Drian Telephone recharge	365036	3650
5	44	Strengthing of Drain towards Ashok House	1034684	10346
6	44	Strengthing of Drain Barchwar Khud	949505	9495
7	46	C/O Foot path W.No. I	166202	1662
8	49	Strengthing of Drain telephone recharge (Sumit Kumar)	355890	3558
			कुल कटौती	**₹50266**

अतः लेबर सैस के रूप में कटौती की गई राशि ₹50266/– को सम्बन्धित विभाग में अभिलम्ब जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त माह 5/13 से 3/14 तक निर्माण बिलो ंसे लेबर सैस की जितनी राशि कटौती की गई है उसकी गणना भी नगर पंचायत अपने स्तर में करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** निर्माण कार्यों में सुदृढ़ पर्यावेक्षण की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V (75)/81 खण्ड–3–7733–34 दिनांक,23.12.2014 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2.

पंजीकृत

2. सचिव, नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''अ''   पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/81 से 12/82

1	पैरा– 7 (2)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–5 (ए, बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 व 8	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (सी)	अनिर्णीत

3	पैरा–8 (जी)	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत	
5	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत	
6	पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत	
10	पैरा–10 (एफ)	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 03/90

1	पैरा–7 (च)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
2	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
4	पैरा–10	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
5	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 03/93

1	पैरा–5	निर्णीत	(अभिलेख जाँच उपरान्त व पैरा पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–8 (3)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच लिया)
3	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (6)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
5	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	अनिर्णीत	
7	पैरा–11	अनिर्णीत	
8	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	

9	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा—13 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा—13 (ख, ग)	अनिर्णीत
12	पैरा—14 (7)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/93 से 3/96

1	पैरा—5 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8 (क से छ)	अनिर्णीत
4	पैरा—9 (क, ख)	अनिर्णीत
5	पैरा—10 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा—10 (ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा—10 (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा—10 (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा—10 (च)	अनिर्णीत
10	पैरा—10 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा—10 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (ञ)	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (ट)	अनिर्णीत
14	पैरा—10 (ठ)	अनिर्णीत
15	पैरा—10 (ड)	अनिर्णीत
16	पैरा—10 (ण)	अनिर्णीत
17	पैरा—10 (त)	अनिर्णीत
18	पैरा—10 (थ)	अनिर्णीत
19	पैरा—10 (द)	अनिर्णीत
20	पैरा—10 (न)	अनिर्णीत
21	पैरा—10 (प)	अनिर्णीत
22	पैरा—11	अनिर्णीत
23	पैरा—12	अनिर्णीत

24	पैरा–13 (1, 2)	अनिर्णीत	
25	पैरा–14 (i से xii)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 03/2001

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा–13 (क) (1 से 4)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (ग) (क से ग)	अनिर्णीत	

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 03/2007

1	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (vi)	अंशतः रूप से निर्णीत	(₹1000/– व ₹105/–की वसूली कर ली गई है।)
4	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ix)	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 03/12

1	पैरा–5	निर्णीत	
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

8	पैरा–8 (ख) (i)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8	पैरा–8 (ख) (ii)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
9	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
11	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (ज)	निर्णीत	(यह तहबाजारी के तहत चलती फिरती रेहड़ियाँ है, व मासिक किराये पर नहीं)
16	पैरा–9 (झ)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
17	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–10 (ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
21	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा–11 (घ)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
25	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
26	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	
27	पैरा–11 (छ)	अनिर्णीत	
28	पैरा–11 (ज)	अनिर्णीत	
29	पैरा–11 (झ)	अनिर्णीत	
30	पैरा–11 (ञ)	अनिर्णीत	
31	पैरा–11 (ट)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
32	पैरा–11 (ठ) (ii)	अनिर्णीत	
33	पैरा–11 (ठ) (iii)	अनिर्णीत	

34	पैरा–12 (क)	अंशतः निर्णीत	(वसूली की जा रही है)
35	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(सावधि जमा में राशि जमा की गई)
36	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	
37	पैरा–12 (घ)	निर्णीत	(पालना की जा रही है)
38	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
39	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
40	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	
41	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	
43	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	
44	पैरा–14 (ङ)	अनिर्णीत	
45	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(₹5000 ⁄ – की वसूली माह 2 ⁄ 13 देय 3 ⁄ 13 के वेतन से की गई)